

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, अप्रैल 27—मई 3, 2014, शनिवार/वैशाख 7—वैशाख 13, 1936 No. 8] NEW DELHI, APRIL 27—MAY 3, 2014, SATURDAY/VAISAKHA 7—VAISAKHA 13, 1936

> इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> > भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2014

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम, 1978, में-
- (क) नियम 2 में, खंड (13) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्त: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
- (14) ''आंतरिक छंटनी सिमिति (प्रारंभिक)''- से प्रोन्नित के लिए वैज्ञानिक 'छ' की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का मुल्यांकन करने और अपनी सिफारिशों आंतरिक छंटनी सिमिति (मुख्य) को देने के लिए नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन गठित सिमिति अभिप्रेत है ;
- (15) ''आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य)''– से वैज्ञानिकों 'छ' के साथ अन्योन्यक्रिया के लिए, प्रोन्नित के संबंध में एवं पीयर समिति को अपनी सिफारिशें देने के प्रयोजन के लिए नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

1686 GI/2014 (335)

- (ख) नियम 8 के उपनियम (2) के खंड (ख) में,-
- (i) उपखंड (iख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- (iग) ''वैज्ञानिक 'छ' से वैज्ञानिक 'ज', में प्रोन्नित के लिए, अनुसूची 1ख के अधीन विनिर्दिष्ट ''आंतरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक)'' वैज्ञानिकों 'छ' की प्रोन्नित पर विचार करने और औसत अंक देने के लिए मूल्यांकन बोर्ड द्वारा वैज्ञानिकों की योग्यता की पात्रता का विनिश्चय करने हेतु अपने स्वयं के मानक तैयार करेगी''।
- (i) ''अनुसूची 1ख के अधीन विनिर्दिष्ट आंतरिक छंटनी सिमिति (मुख्य) वैज्ञानिक 'छ' के साथ अनन्योक्रिया करेगी और पीयर सिमिति को अपनी सिफारिशें देगी'':-
- (ii) "उप-खंड ((iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
- (iii) ''अनुसूची 1घ में यथा विनिर्दिष्ट पीयर सिमिति ऐसे वैज्ञानिक 'छ' जिसने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और जिसकी आंतरिक छंटनी सिमिति (मुख्य) द्वारा गुणागुण, उपलब्धियों, नेतृत्व क्षमता तथा प्रबंधकीय गुणवत्ताओं के आधार पर विचार करने के पश्चात् वैज्ञानिक 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के पद पर प्रोन्नित के लिए सिफारिश की गई हो, का मूल्यांकन करेगी':
- (ग) अनुसूची 1ख में, शीर्षक ''वैज्ञानिक 'छ' की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों और इससे संबंधित प्रविष्टियों का पुनर्विलोकन करने के लिए आंतरिक छंटनी समिति'', के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

वैज्ञानिक 'छ' की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की छंटाई करने के लिए आंतरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक) तथा वैज्ञानिक 'छ' के साथ अनन्योक्रिया करने के लिए आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य)।

आंतरिक छंटनी समिति (प्रारंभिक)

(ख) वैज्ञानिक 'छ'

(i) सिचव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई विशिष्ट वैज्ञानिक ।

---अध्यक्ष

(ii) मुख्य नियंत्रक, अनु. और वि. (मानव संसाधन) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग ।

---सदस्य

(iii) निदेशक, कार्मिक निदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग ।

---सचिव (गैर-सदस्य)

आंतरिक छंटनी समिति (मुख्य)

(i) अध्यक्ष, भर्ती और मूल्याकंन केंद्र या ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी क्षेत्र अर्थात् यथास्थिति, विज्ञान या गणित या मनोविज्ञान या अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी या धातु-विज्ञान में सिद्ध ज्ञान, अनुभव एवं निपुणता हो, जिनका नाम-निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाए।

---अध्यक्ष

(ii) सिचव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन वैज्ञानिक जो कि ''विशिष्ट वैज्ञानिक'' के स्तर से नीचे के न हों।

---सदस्य

[फा. सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/भ.नि/सी/पी/12]

एस. डी. भासोर, अवर सचिव

टिप्पणी :-रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1978 भारत के राजपत्र, भाग-2, अनुभाग 4 में का.नि.आ. 8, तारीख 30 दिसम्बर, 1978, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात् का.नि.आ. 307, तारीख 10 अक्तूबर 1980, का.नि.आ. 196, तारीख 2 अगस्त 1982, का.नि.आ. 159, तारीख 6 मई 1983, का.नि.आ. 176, तारीख 7 अगस्त 1984, का.नि.आ. 228 तारीख 13 नवम्बर 1984, का.नि.आ. 170, तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186, तारीख 2 अगस्त, 1985, का.नि.आ. 228, तारीख 6 जून, 1986, का.नि.आ. 158, तारीख 4 मई, 1987, का.नि. आ. 328, तारीख 25 सितम्बर, 1987, का.नि.आ. 11-च, तारीख 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ. 1, तारीख 4 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 5 मार्च, 1991, का.नि.आ. 146, तारीख 4 जुलाई, 1991, का.नि.आ. 74, तारीख 24 मार्च, 1992, का.नि.आ. 125, तारीख 29 मई, 1992, का.नि.आ. 157, तारीख 26 अगस्त, 1994, का.नि.आ. 34, तारीख 8 मार्च, 1996, का.नि.आ. 33, तारीख 2 फरवरी, 1998, का.नि.आ. 100, तारीख 30 जुलाई, 1998, का.नि.आ. 119, तारीख 9 जुलाई, 1999, का.नि.आ. 51, तारीख 27 मार्च, 2003, का.नि.आ. 179, तारीख 13 नवम्बर, 2003, का.नि.आ. 35, तारीख 3 फरवरी, 2006, का.नि.आ. 52, तारीख 22 सितम्बर, 2007, का.नि. आ. 62, तारीख 5 जुलाई, 2008, का.नि.आ. 36, तारीख 9 मई, 2011, का.नि.आ. 21, तारीख 23 मार्च, 2012, का.नि.आ. 11, तारीख 20 दिसम्बर, 2013 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 22nd April, 2014

- **S. R. O. 33.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1978, namely:
 - 1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1978,-
 - (a) in rule 2, after clause(13), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - '(14) "Internal Screening Committee (Preliminary)" means the Committee constituted under sub-rule (2) of rule 8 for the purpose of evaluating the performance appraisal reports of Scientists 'G' for promotion and giving their recommendations to the Internal Screening Committee (Main);
 - (15) "Internal Screening Committee (Main)" means the Committee constituted under sub-rule (2) of rule 8 for the purpose of interactions with Scientists 'G' for promotion and giving their recommendations to the Peer Committee;
 - (b) in rule 8, in sub-rule(2), in clause (b),-
 - (i) after sub-clause (ib), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
 - "(ic) For promotion from Scientist 'G' to Scientist 'H', the Internal Screening Committee (Preliminary) specified under Schedule 1B shall evolve its own criteria for deciding the eligibility of Scientists by Assessment Board, for considering promotion and award average marks for the Scientist 'G'".
 - "(id) The Internal Screening Committee (Main) specified under Schedule 1B shall interact with the Scientist 'G' and make recommendations to Peer Committee";-
 - (ii) for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted namely:-
- "(iii) The Peer Committee as specified in Schedule ID shall assess Scientists 'G', who have completed three years regular service in the grade and have been recommended by the Internal Screening Committee (Main), for promotion to the post of Scientist 'H' (Outstanding Scientists) based on merit, achievements, leadership and managerial qualities";
- (c) in Schedule 1B, for the heading "Internal Screening Committee to Review Performance Appraisal Reports of Scientists 'G' and the entries relating thereto", the following shall be substituted namely:-

"The Internal Screening Committee (Preliminary) to screen Annual Performance Appraisal Reports of Scientist 'G' and Internal Screening Committee(Main) for interaction with Scientists 'G'

Internal Screening Committee (Preliminary)

(b)) Scientist	'G'
------------	-------------	-----

(i) Secretary, Department of Defence Research and Development or a Distinguished Scientist nominated by him.

---- Chairperson

(ii) Chief Controller, R&D(HR), Department of Defence Research and Development.

---- Member

(iii) Director, Directorate of Personnel, Department of Defence Research and Development.

----Secretary (Non-Member)

Internal Screening Committee (Main)

(i) Chairman, Recruitment and Assessment Centre or a person having proven knowledge, experience and expertise in any field namely Science or Mathematics or Psychology or Engineering or Technology or Metallurgy, as the case may be, to be nominated by the Central Government.

---- Chairperson

(ii) Three Scientists not below the level of "Distinguished Scientist" nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development".

----- Members

[F. No. DHRD/76205/DRDS/RRs/C/P/12]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Note:- The Defence Research and Development Service Rules, 1978 here published in the Gazette of India, Part-II, Section 4, vide number S.R.O. 8, dated the 30th December, 1978, and subsequently amended vide S.R.O.307, dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196, dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159, dated the 6th May, 1983, S.R.O. 176, dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228, dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170, dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186, dated 2nd August, 1985, S.R.O.228, dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158, dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328, dated the 25th September, 1987, S.R.O. 11-E, dated the 10th August, 1990, S.R.O. 1, dated the 4th January, 1991, S.R.O. 33, dated the 17th January, 1991, S.R.O. 74, dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146, dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74, dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125, dated the 29th May, 1992, S.R.O. 157, dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34, dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33, dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100, dated the 30th July, 1998, S.R.O. 119, dated the 9th July, 1999, S.R.O. 51, dated the 27th March, 2003, S.R.O. 179, dated the 13th November, 2003, S.R.O. 35, dated the 3rd February, 2006, S.R.O. 52, dated the 22nd September, 2007, S.R.O. 62, dated the 5th July, 2008, S.R.O.36 dated the 9th May, 2011, S.R.O. 21 dated the 23rd March, 2012, S.R.O. 11 dated the 20th December, 2013.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 34 .—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरों के कोर में प्रयोगशाला निदर्शक/प्रारूपक, प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला पिरचर के पदों पर जैसा कि रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय के पत्र संख्या बी/15198/रिव. (आर.ओ.आई.)/ई.एम.ई. सिव.–3 दिनांक 9 जून, 2006 के द्वारा अनुमोदित व रक्षा मंत्रालय के विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरों के अभिलेख कार्यालय निर्देशन (आर.ओ.आई.)/ 2006 (खण्ड–II) में प्रकाशित किया गया है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक और यांत्रिक इंजीनियरों के कोर में प्रयोगशाला निदर्शक/प्रारूपक, प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला पिरचर के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभः(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक और यांत्रिक इंजीनियरों के कोर, प्रयोगशाला कर्मचारीवृन्द समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।